

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML Gap-III)/2018/3986

दिनांक: 20.12.2018

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय-III के अन्तर्गत अप्रधान खनिजों के खननपट्टों के मध्य गैप क्षेत्र ई-नीलामी (E-auction) के माध्यम से आवंटित किये जाने हैं, जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता आवेदन शुल्क व बिड की प्रतिभूति राशि जमा कर ई-नीलामी में भाग ले सकता है। ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को आवेदन शुल्क रूपया 7,500/- तथा बिड प्रतिभूति राशि (नीचे अंकित तालिका अनुसार) निर्धारित तिथि तक ई-नीलामी की सेवा प्रदाता कम्पनी एम.एस.टी.सी. लि. को जमा कराना आवश्यक होगा। आवंटित किये जाने वाले गैप क्षेत्रों का विवरण एवं बोली की निर्धारित तिथियां व समय निम्नानुसार है :-

क्र. स.	कार्यालय का नाम जिसमें खनन प्लॉट स्थित हैं एवं प्लॉट क्रमांक:	खनन पट्टा (प्लॉट) का विवरण				प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	खनिज का नाम	नीलामी का प्रकार	बिड प्रतिभूति राशि (रूपयों में)	आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु आवेदन शुल्क व बिड प्रतिभूति राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय	एनेक्शर क्रमांक जहां प्लॉट का विस्तृत विवरण अंकित है। नोट:- एनेक्शर वेबसाईट पर अपलोड इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।
		भूमि का प्रकार	राजस्व ग्राम	तहसील	जिला									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, राजसमंद प्लॉट (गैप) क्रमांक: 11	राजकीय भूमि	मोरवड	राजसमंद	राजसमंद	759.3159	मारबल	खनन पट्टा संख्या 526/83, 383/81 एवं 537/94 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	100000	76000	16.02.2019	17.02.2019	11.00 ए.एम. से 01.00 दोपहर	एनेक्शर-1

2	सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 1	राजकीय भूमि	बरोडा	सलुम्बर	उदयपुर	756.0000	मारबल	खनन पट्टा संख्या 1551/90, 1523/90 पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	100000	76000	16.02.2018	17.02.2019	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.	एनेक्शर-2
---	----------------------------------------------------	-------------	-------	---------	--------	----------	-------	-------------------------------------------------------------------	--------	-------	------------	------------	------------------------------	-----------

अ महत्वपूर्ण बिंदु:-

- उपरोक्त वर्णित प्लॉट की ई-नीलामी कॉलम संख्या 9 में वर्णित अनुसार पडौसी पट्टाधारियों के मध्य होगी तथा नीलामी उपरान्त सम्बन्धित गैप क्षेत्र उच्चतम पट्टेधारी बोलीदाता के खनन पट्टा क्षेत्र में जोड़ा जावेगा जिसकी अवधि संविदा पंजीयन दिनांक से जोड़े जाने वाले मूल खनन पट्टे की अवधि तक रहेगी।
- क्र सं 2 में अंकित गैप क्षेत्र की स्वीकृति से पूर्व अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र होने से राजस्थान पंचायती राज (मोडिफिकेशन ऑफ प्रोविजन इन देयर ऐप्लीकेशन टू दी सेड्यूल ऐरिया) अधिनियम 1999 के तहत सक्षम पंचायत राज संस्थान (सक्षम स्तर के) से अनुशंषा प्राप्त करनी होगी।
- आंवटित किये जाने वाले गैप क्षेत्र की लोकेशन एवं अन्य सूचनाएं उपरोक्त तालिका अनुसार एनेक्शर 1 व 2 पर हैं। उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर तथा सेवा प्रदाता की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर भी उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड की जा सकती है। नीलाम किये जा रहे गैप क्षेत्र जहाँ है, जैसे है के आधार पर नीलाम किया जा रहा है। बोलीदाता सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर प्लॉट का निरीक्षण अपने स्तर पर करेगा। प्लॉट की स्थिति, उपलब्ध खनिज, पहुंच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बाबत बोलीदाता पूर्ण रूप से बोली लगाने से पूर्व स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें बाद में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- ई-नीलामी प्रीमियम राशि की होगी तथा प्रीमियम राशि केवल एक बार जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को प्रीमियम की राशि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 7(3) के द्वितीय परन्तुक के तहत अग्रिम रूप से बोली समाप्ति के 15 दिन में पूर्ण राशि जमा करानी होगी। उक्त प्रीमियम राशि का समायोजन स्थिर भाटक, रॉयल्टी इत्यादि में नहीं होगा।
- गैप क्षेत्र का आंवटन एवं ई-ऑक्शन की प्रक्रिया राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 एवं इसके तहत जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत होगी।
- यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाइट व सेवा प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबसाइट पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

ब बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-

- ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैनुअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टॉक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 है। विभागीय हेल्पलाइन नम्बर 0294-2415091 (एक्सटेंशन नम्बर 212, 211 व 219)


- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-1 का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 पंजीयन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कॉड, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रूफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/- व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई-मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई-मेल से भिजवाने होंगे।

स ई-नीलामी की प्रक्रिया

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक आवेदन शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी जमा करा देने पर ऑनलाइन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक प्लॉट के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी जमा कराये। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस प्लॉट हेतु बोली लगायेगा, उस प्लॉट के अनुसार आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।
- 2 बोलीदाता द्वारा आवेदन शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 3 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सीरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 4 बोली प्रिमियम की आरक्षित दर (रिजर्व प्राइज) जो कि कॉलम संख्या 10 में अंकित है, से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 5 बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 5000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 6 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा, जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे बोलीदाता को भेजी जावेगी।
- 7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में लगाई गई बोली की संपूर्ण प्रिमियम राशि जमा कराते हुए एवं निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे :-
 i. बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण पत्रों जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।

- ii विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई वेबसाइट पर अपलोड है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावे।
1. यदि बोलीदाता **Individual** (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
- नोट-शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।
- iii बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
- iv बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।
- v आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
- vi PAN card / TIN की प्रति।
- vii एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
- viii ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।
- यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उक्त राशि एवं दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो उसकी जमा बिड प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों हेतु ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा एवं उसके नीचे के बोलीदाताओं को क्रमिक रूप में प्राप्त उच्चतम बोली पर प्लॉट लेने हेतु अवसर दिया जायेगा।
- 8 ई नीलामी प्रक्रिया के बिन्दु संख्या 7 की पूर्ण पालना कर देने पर बोलीदाता को मंशा पत्र जारी किया जावेगा, जिसमें वर्णित समयावधि में माईनिंग प्लान, ई.सी. परफोरमेंस सिक्यूरिटी आदि जमा कराना होगा।
- नोट (1) अन्य बोलीदाताओं को उनकी बिड प्रतिभूति राशि का रिफण्ड उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली की प्रथम किश्त जमा करा देने पर कर दिया जायेगा। नीलामी शुल्क नोन रिफण्डेबल है।

(2) सफल बोलीदाता को उसकी बिड प्रतिभूति राशि उसके द्वारा परफोरमेंस सिक्यूरिटी जमा कराने के पश्चात एमएसटीसी द्वारा तीन दिन में जौटा दी जावेगी।


(जे.के. उपाध्याय) I.A.S.
निदेशक

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML Gap-III)/2018/3987 to 3995

दिनांक: 20.12.2018

प्रतिलिपि :-

- 1- श्री उमेश चंद्र, Sr. Manager, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

4 निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु :


अ- अतिरिक्त निदेशक (स्वान) उदयपुर ।

ब - अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) जयपुर।

स - अधीक्षण स्वनि अभियंता, राजसमंद।

द - अधीक्षण स्वनि अभियंता, उदयपुर।

5 स्वनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम, राजसमंद एवं सहायक स्वनि अभियंता, सलुम्बर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा करें। साथ ही सम्बन्धित पट्टाधारियों जिनके मध्य गैप क्षेत्र का ई ऑक्शन होगा, उन्हें आपके कार्यालय स्तर से सूचित किया जाना सुनिश्चित करें ।


(ओ.पी. फाबरा)

अधीक्षण स्वनि अभियन्ता (नी.प्र.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमंद खण्ड-प्रथम
 खनिज भवन, आर.के. राजकीय चिकित्सालय के सामने, काईपास रोड, राजसमंद,
 दूरभाष व फैक्स- 02952-220190, Email-ME.RAJSAMAND@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक:-खअ/राज-1/मा.चि. /2017-18/

दिनांक

क्रम संख्या	विवरण
1.	प्लॉट (गोप) क्रमांक 11
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल
5.	खनिज
6.	खनन पट्टा संख्या जिनके मध्य गोप नीलामी की जानी प्रस्तावित है।
7.	स्थिर भाटक
8.	रॉयल्टी की दर
9.	प्रीमियम की आरक्षित दर
10.	भूमि का प्रकार
11.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर

सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर
1	25° 6' 43.731"	73° 48' 4.921"
2	25° 6' 43.459"	73° 48' 5.942"
3	25° 6' 47.844"	73° 48' 6.281"
4	25° 6' 47.551"	73° 48' 6.445"
5	25° 6' 45.213"	73° 48' 6.083"
6	25° 6' 43.686"	73° 48' 5.148"
7	25° 6' 43.736"	73° 48' 4.887"

मानचित्रकार

खनि अभियन्ता
 राजसमंद प्रथम

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता सलुम्बर जिला उदयपुर (राज0)

		विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	गेप क्षेत्र			
2	खनिज	मार्बल			
3	कार्यालय का नाम जहां गेप क्षेत्र आता है	सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर			
4	गेप क्षेत्र का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	ग्राम - बरोडा तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर			
5	गेप क्षेत्र का क्षेत्रफल	0.0756 हैक्टेयर			
6	स्थिर भाटक	रूपये 7560/- प्रतिवर्ष एवं एवं समय समय पर होने वाले संसोधनानुसार			
7	भूमि का प्रकार	बिलानाम भूमि			
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों की विवरण सूचि	From	To	Bearing	Distence (Mts.)
		FRP	A	128°	20
		A	X	38°	89.3612
		X	Y	207°	88.7326
		Y	A	300°24'3.3526"	17.0810

कुल क्षेत्रफल 0.0756 हैक्टेयर

(जे.पी. बागडी)

सहायक खनि अभियन्ता
सलुम्बर